

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :-

दिनांक :-23.10.2018

कार्यालय-आदेश

मैं अखिलेश कल्याण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर दंड प्र० सं० की धारा 15(2) व (4) एवं 410 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आदेश पारित करते हुए निम्न अवकाश के दिन अलवर न्याय क्षेत्र की सीमाओं में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात्, जमानत आवेदन, रिमाण्ड, मृत्यु कालिक कथन एवं अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई हेतु एवं रिमाण्ड कार्य एवं सेशन कार्य करने हेतु निम्न न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ।

क्र०सं	रिमांड ड्यूटी हेतु	दिनांक	सेशन कार्य हेतु
1	J.M. Malakhera	04-11-2018	A.C.J.M.-1, ALWAR
2	A.C.J.M.-3, ALWAR	06-11-2018	A.C.J.M.-3, ALWAR
3	A.C.J.M.-3, ALWAR	07-11-2018	A.C.J.M.-3, ALWAR
4	A.C.J.M.-3, ALWAR	08-11-2018	A.C.J.M.-3, ALWAR
5	A.C.J.M.-3, ALWAR	09-11-2018	A.C.J.M.-3, ALWAR
6	J.M. Bansur	10-11-2018	A.C.J.M.-2, ALWAR
7	J.M. Kathumar	11-11-2018	A.C.J.M.-2, ALWAR
8	J.M. Tijara	18-11-2018	A.C.J.M.-1, ALWAR
9	J.M. Laxmangarh	21-11-2018	A.C.J.M.-2, Behror
10	J.M. Rajgarh	23-11-2018	A.C.J.M.- Tijara
11	J.M. Kishangarh	24-11-2018	A.C.J.M.- Behror
12	Gram Nayalaya Neemrana	25-11-2018	A.C.J.M.-1, Behror
13	J.M. Kotkasim	02-12-2018	A.C.J.M.-2, Behror
14	A.C.J.&J.M.-1, Alwar	08-12-2018	A.C.J.M.-Tijara
15	A.C.J. & J.M.-2, Alwar	09-12-2018	A.C.J.M.-Laxmangarh
16	A.C.J. & J.M.-3, Alwar	16-12-2018	A.C.J.M.-Laxmangarh
17	J.M.Mundawar	22-12-2018	A.C.J.M.-Rajgarh
18	J.M. Bhiwadi	23-12-2018	A.C.J.M.-Rajgarh

निर्देश-

- 1- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- 2- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- 3- नियत किए गए दिवस को यदि किस आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तो कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
- 4- अवकाश के दिन यदि सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बन्धित उक्त कार्य करेंगे।

नोट- उक्त अवकाश के दिवस पर पीठासीन अधिकारी अपने अपने न्यायालय में समय 11:00 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक उपस्थित होकर उक्तानुसार कार्य करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज०)

